महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0 : 0522–2337453
सीयूजी : 9454400136
Email : sec1@uppac.net

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पीएसी–1–153(01)2023 /221
दिनांकः जनवरी 31,2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याःदस–245/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–UPPRPB-PROMOPROM(4301)/01/2023PROM-SEC दिनांक 01.01.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष–2023 की रिक्तियों के सापेक्ष 454 मुख्य आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह जनवरी–2024 की 24 रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस/पीएसी को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई से उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर कालम संख्या–06 में अंकित वाहिनी/जनपद/इकाई में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगीः–

क्र0सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	वर्तमान नियुक्ति	स्थानान्तरित वाहिनी/जनपद/इकाई	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	533	820570400	राजकिशोर	39वीं मीरजापुर	39वीं मीरजापुर	2023
2	534	820620264	किशन सिंह थापा	10वीं बाराबंकी	10वीं बाराबंकी	2023
3	560	820680316	सौराज सिंह	कमि0आगरा	कमि0 आगरा	2023
4	564	820520522	राजेन्द्र सिंह	मथुरा	मथुरा	2023
5	565	820530291	सनन्दन पाण्डेय	26वीं गोरखपुर	26वीं गोरखपुर	2023
6	566	820640413	चन्द्र पति यादव	20वीं आजमगढ़	20वीं आजमगढ़	2023
7	570	820570413	महेन्द्र प्रसाद मिश्रा	10वीं बाराबंकी	10वीं बाराबंकी	2023
8	572	820750202	राजकुमार	28वीं इटावा	28वीं इटावा	2023
9	574	820560236	इफितखार अहमद	35वीं लखनऊ	35वीं लखनऊ	2023
10	576	820710543	राममिलन	अलीगढ	अलीगढ़	2023
11	578	820680420	नैपाल सिंह	43वीं एटा	43वीं एटा	2023
12	581	830710012	बच्चू सिंह	15वीं आगरा	38वीं अलीगढ़	2023

13	590	830620049	रामेश्वर दत्त शुक्ला	32वीं लखनऊ	32वीं लखनऊ	2023
14	592	830650244	राम कुमार यादव	35वीं लखनऊ	35वीं लखनऊ	2023
15	593	830690176	अनिल कुमार सिंह	48वी सोनभद्र	48वी सोनभद्र	2023
16	594	830530050	राम एकबाल सिंह यादव	26वीं गोरखपुर	26वीं गोरखपुर	2023
17	595	830760062	राजवीर सिंह	06वीं मेरठ	06वीं मेरठ	2023
18	596	830770047	शमशाद अहमद	02वीं सीतापुर	02वीं सीतापुर	2023
19	597	830710067	कुवंरपाल सिंह	बागपत	बागपत	2023
20	599	830760075	ओमराज सिंह	कमि0 गाजियाबाद	कमि0 गाजियाबाद	2023
21	600	830660027	प्रेमचन्द्र राम	42वीं प्रयागराज	42वीं प्रयागराज	2023
22	602	830770018	विजय सिंह	02वी सीतापुर	02वी सीतापुर	2023
23	603	830640041	शिववचन राम	48वीं सोनभद्र	48वीं सोनभद्र	2023
24	604	830530340	विजय कुमार पाण्डेय	04वीं प्रयागराज	04वीं प्रयागराज	2023

2— यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को कालम संख्या—6 मे अंकित उसके नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3— पदोन्नत उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी को पदोन्नति की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस से संलग्न प्रारूप—क में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89—का—1—1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ विद्यमान न हों:—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्तक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो संबंधित कर्मी की पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6— उक्त कार्मिकों में से जो कर्मी मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस पद विषयक आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण नहीं किये है उनके पदोन्नति आदेश का कियान्वयन नहीं कराया जायेगा। सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य आरक्षी सशस्त्र/पीएसी पद विषयक आधारभूत प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही पदोन्नति आदेश का कियान्वयन कराया जायेगा।

संलग्नकः प्रारूप(क)

3/1

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—पुलिस आयुक्त, कमि0 आगरा/गाजियाबाद।
2—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मथुरा/बागपत/अलीगढ़।
3—सेनानायक,02वीं/04वीं/06वीं/10वीं/15वीं/20वीं/26वीं/28वीं/32वीं/35वीं/38वीं/39वीं/42वीं/43वीं/48वीं वाहिनी पीएसी उत्तर प्रदेश।

स्वघोषणा-पत्र

मैं..(नाम/पदनाम व पीएनओ)................ पुत्र..................... ....निवासी .... थाना....................... जनपद................. ....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) .... नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र .... का मुख्य आरक्षी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण ....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0.................................धारा........................थाना............................... जनपद.................................. में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .... द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .... स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।